



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-09012026-269247
CG-GJ-E-09012026-269247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947

No. 24]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 5 जनवरी, 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/004.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 17 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रदर्शन समीक्षा समिति) विनियम, 2022 (जिसे इसके बाद प्रमुख विनियम कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कार्यपालन पुनर्विलोकन समिति) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. प्रधान विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ii) में, "दो स्वतंत्र विशेषज्ञों तक" शब्दों को "संबंधित क्षेत्रों से कम से कम दो स्वतंत्र विशेषज्ञ" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./600/2025-26]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 5th January, 2026

**International Financial Services Centres Authority (Performance Review Committee)
(Amendment) Regulations, 2026**

F. No. IFSCA/GN/2026/004.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (4) of Section 17 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Performance Review Committee) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as the principal regulations), namely:-

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Performance Review Committee) (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In clause (ii) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the principal regulations, for the words “Up to two independent experts”, the words “At least two independent experts from relevant fields” shall be substituted.

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./600/2025-26]